

प्रेस नोट

दिनांक- 02.10.2026

जनपद- मऊ ।

आज दिनांक 02.10.2026 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा पुलिस लाइन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता की शपथ दिलाते हुये उन महापुरुषों के आदर्शों और विचारों से अवगत कराते हुए उन पर चलने हेतु प्रेरित किया गया ।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को उनके महत्वपूर्ण योगदान एवं स्वच्छता के प्रति समर्पण के लिए सम्मानित किया गया, पुलिस अधीक्षक द्वारा सफाई कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांखित किया ।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तथा समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों द्वारा अपने अपने थानों/चौकियों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता का शपथ लिया गया।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्शों एवं विचारों को आत्मसात करते हुए जनसेवा, कर्तव्यपरायणता सत्यनिष्ठा एवं राष्ट्रहित में सदैव कार्य करने का संकल्प लिया गया ।

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ितों का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 3,51,724/- (तीन लाख इक्यावन हजार सात सौ चौबीस रुपया) पीड़ितों को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना घोसी, थाना कोतवाली नगर, थाना मधुबन व थाना चिरैयाकोट साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 02.10.2026 को पीड़ितों के खाते से फोन करके/मोबाइल हैक करके यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 3,51,724/- (तीन लाख इक्यावन हजार सात सौ चौबीस रुपया) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा पीड़ितों को वापस कराया गया ।

***थानावार विवरण*-**

1.थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदक गिरीश चंद्र राय पुत्र सूर्यभान राय निवासी बड़राव थाना घोसी जनपद मऊ कुल धनराशि – 2,04,000/- रूपया वापस कराया गया ।

2.थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदक अमित कुमार यादव निवासी ग्राम व थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ कुल धनराशि – 20,500/- रूपया वापस कराया गया ।

3.थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदकगण 1.प्रशान्त यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी बेला गदायन पट्टी थाना मधुबन जनपद मऊ कुल धनराशि- 10000 +4038= 14038/- रुपये 2.छट्टू यादव पुत्र बैजनाथ निवासी धरमपुर विशुनपुर थाना मधुबन जनपद मऊ कुल धनराशि- 12000/- रुपये 3. मिथिलेश राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर ग्राम पंचमहल पो.दरगाह थाना मधुबन जनपद मऊ कुल धनराशि - 1604/- रुपये । थाना मधुबन से कुल धनराशि- 27,642/- रुपये वापस कराया गया ।

4.थाना चिरैयाकोट साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़िता /आवेदिका संध्या चौबे पत्नी प्रभाकर चौबे नि0पहाडपुर मिश्रौली थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ से धनराशि- 68,002/- रू0 + 31,580/- रुपये = कुल धनराशि- 99582/- रुपये वापस कराया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें । साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं ।

थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग- 20,000/- वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.10.2026 को गुम/ खोये हुए 01 अदद स्मार्ट मोबाइल फोन पीड़ित/ आवेदक रामजनम वर्मा निवासी अयोध्या का एक अदद स्मार्ट मोबाइल फोन कीमत- 20,000/- (बीस हजार रूपया) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से उसके मालिक को तस्दीक कर सुपुर्द किया गया ।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है कि मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित किया जा सके ।

मृतक माफिया मुख्तार अंसारी गैंग का सहयोगी गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद विवो मोबाइल फोन बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी, मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना चिरैयाकोट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01.10.2026 को समय 23.46 बजे देवभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अमिरहा पलिया मोड़ ग्राम अल्देमऊ के पास से मु0अ0सं0- 118/26 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त HS सुधीर सिंह पुत्र कमलेश सिंह निवासी ग्राम अल्देमऊ थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मृतक माफिया मुख्तार अंसारी गैंग का सहयोगी व थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय व अन्य थानों पर 30 मुकदमें पंजीकृत हैं। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद विवो मोबाइल फोन बरामद किया गया। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

***नाम गिरफ्तार अभियुक्त*-**

1. HS सुधीर सिंह पुत्र कमलेश सिंह निवासी ग्राम अल्देमऊ थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

***पंजीकृत अभियोग*-**

1. मु0अ0सं0 118/26 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ।

***गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समय*-**

1. दिनांक - 01.10.2026, समय-23.46 बजे।

2. स्थान - अमिरहा पलिया मोड़ ग्राम अल्देमऊ के पास।

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर

2. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3. एक अदद विवो मोबाइल फोन

गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की अपराध से अर्जित लगभग ₹25 हजार रुपये मूल्य के एक वाहन की धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्की/जब्तीकरण

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में अपराध से अर्जित चल एवं अचल सम्पत्तियों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्रा के नेतृत्व में थानाध्यक्ष सुनील कुमार सरोज थाना रामपुर एवं थानाध्यक्ष श्री भगवानराम थाना हलधरपुर जनपद मऊ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों की अपराध से अर्जित चल सम्पत्तियों

के विरुद्ध धारा 14 (1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की गयी।

प्रकरण -1 : अभियुक्त अजय कुमार जायसवाल से सम्बन्धित मु०अ०सं० 282/2025, धारा 2(ख) /3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ से सम्बन्धित गैंग लीडर अभियुक्त अजय कुमार जायसवाल पुत्र स्व० गोपाल जी जायसवाल निवासी वार्ड नं० 24 चमन सिंह बाग रोड थाना कोतवाली जनपद बलिया, वर्तमान पता राजपूत नेवरी थाना कोतवाली जनपद बलिया के नाम/परिवार के नाम पंजीकृत वाहन को अपराध से अर्जित अवैध धनराशि से अर्जित चल सम्पत्ति पाये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा वाद संख्या-D202615510002479, सरकार बनाम अजय कुमार जायसवाल, अन्तर्गत धारा 14(1) उ०प्र० गैंगस्टर्स एक्ट में दिनांक 02.09.2026 को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क जब्तीकरण का आदेश पारित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 01.10.2026 को अभियुक्त के वाहन UP60 BA 4988 बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट मोटर साइकिल अनुमानित मूल्य ₹ 25,000/- रुपये के आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली बलिया पहुँचकर स्थानीय पुलिस स्टाफ के समक्ष उक्त वाहन के पंजीकृत स्वामी पिन्टू जायसवाल उर्फ पिन्टू कुमार से उक्त वाहन प्राप्त कर भौतिक सत्यापन कर इंजन एवं चेसिस नम्बर का उपलब्ध अभिलेखों से मिलान किया गया, जो सही पाया गया। मौके पर कुर्की नोटिस चस्पा कराकर फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करायी गयी तथा वाहन को राज्य सरकार के पक्ष में नियमानुसार कुर्क जब्तीकरण किया गया।

कुर्क/जब्तीकरण की मुख्य कार्यवाही

पिन्टू जायसवाल उर्फ पिन्टू कुमार के वाहन UP60 BA 4988 बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट मोटर साइकिल की कुर्की जब्तीकरण

अनुमानित मूल्य ₹25,000/- रुपये

इस प्रकार दिनांक 01.10.2026 को मु०अ०सं० 282/2025, धारा 2(ख) /3 (1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ से सम्बन्धित गैंगस्टर वाद में जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेशों के अनुपालन में कुल ₹ 25,000/- रुपये अनुमानित मूल्य के एक वाहन की नियमानुसार कुर्की जब्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 02.10.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अनीसुरहमान पुत्र रफीक अहमद निवासी ग्राम नयापुरा जुम्मनपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ ।

2.थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रामप्रवेश मिश्र पुत्र रामवृक्ष मिश्र निवासी ग्राम नसीतपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 02.10.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 30 टीम गठित कर जनपद के 30 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1360 संदिग्ध वाहनो/व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 207 वाहनो को एमवी एक्ट के अन्तर्गत चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी । यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील किया गया है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानों पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें ।